

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)  
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास

वाद संख्या-2/132/2016

अनुवान

1. टूण्डा पुत्र नाथ्या
2. सीयाराम पुत्र नाथ्या
3. मु0 दाखा बेवा नाथ्या
4. मु0 नारायणी बेवा रामनाथ
5. रामस्वरूप पुत्र रामनाथ
6. कैलाश पुत्र रामनाथ
7. गोविन्दा पुत्र रामनाथ
8. जगदीश पुत्र रामनाथ
9. रामफूल पुत्र रामनाथ समस्त जाति गुर्जर नि0 कान्या बास तह0 राजगढ़ —प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्गे जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ़ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

24/05/2018 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट गोला का बास पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया की हाल खसरा न0 1765/0.53,1754/0.54, 1757/2510/0.31 1757/2511/0.16 वाके ग्राम बिरकड़ी तह0 राजगढ़ में स्थित है से प्रार्थीगण को बेदखल न करे दीगर जगह नियमन, आवटन न करे कार्यकास्त प्रार्थीगण में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर बहस एक पक्षिय सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को जर्गे नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया हुआ है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया गया है कि आराजी विवादित रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण अतिक्रमी है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। चूकि प्रार्थना पत्र वर्ष 2016 से विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक पूर्व से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं है। जवाब पैरोकार के अनुसार आराजी विवादित सिवायचक सरकारी खाते की भूमि है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण की खातेदारी वर्तमान में साबित हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाई जाती है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल अस्वीकार योग्या पाया जाता है। अतः



आदेश है कि

प्रार्थना  
1757

पत्र प्रार्थी प्रार्थना अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट हाल खसरा न0 1765/0.53,1754/0.54,  
2510/0.31 1757/2511/0.16 वाके ग्राम बिरकड़ी तह0 राजगढ़ अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़  
कैम्प कोर्ट गोलाकाबास